फर्द अहकाम

कुनितादेवी बनाम सचिव JDA

57/2016 / 20

ाक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत आवागमन का रास्ता दिलाये जाने अन्तर्गत धारा 251-A की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने व विधि के निहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 51/2016
निर्णय दिनांक 28.04.2025

उनवान

श्रीमति सुनीतादेवी पत्नि राजेश कुमार उर्फ रामनिवास, जाति बागडा ब्राम्हण निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् आवागमन का राजस्ता दिलाये जाने अन्तर्गत धारा 251–ए की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र बावत् आवागमन का रास्ता दिलाये जाने अन्तर्गत धारा 251–ए की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि मैं आपके उपखण्ड में धारित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हूँ। मैं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भूमि में से अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 108 में आवागमन हेतु रास्ता चाहती हुँ। मै अपनी उकत भूमि में गत 30–40 सालों सें अर्थात बजमाने बुजुर्गान से अपने खेत मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 118 लबे एल0एन0टी0 रोड में से उपयोग उपभोग करती आ रही हूँ। जिसमें लिए मैने राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 3) की धारा 251–ए की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करती हूँ।

वांछित विवरण निम्न प्रकार है:–आवेदक का नाम श्रीमती सूनिता देवी पत्नी राजेश कुमार उर्फ रामनिवास जाति–बगडा ब्राह्मण निवासी . ग्राम रघुनाथ उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। आवेदक द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 0.57 हैक्टीयर ग्राम रघुनाथ उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। आवेदक की उक्त भूमि खसरा नंबर 108 के पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 107 के लगवा 15 फीट चौडा और 150 फीट लम्बा आमद रफत का रास्ता कुल क्षेत्रफल 250 वर्गगज, खसरा नंबर 118 में से प्राप्त करने का अधिकार रखती है। चूंकि प्रार्थीया का अपनी उक्त भूमि में आवागमन हेतु अन्यत्र रास्ता नहीं है तथा वह अपने सुखाधिकार से महरूम न हो इसलिए इस अधिकार के तहत आवेदक उक्त आवेदन पेश करने का अधिकार रखती है। अन्य खातेदार सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन रोड जयपुर व सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा धारित भूमि जिसमें से भूमिगत पाईप लाईन/नया रास्ता/पुराने रास्ते को और अधिक लम्बा/चौडा करना चाहा जा रहा है, ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नबंर मय रकबा 118 रकबा 1.21 हैक्टीयर गै.मु. चरागाह स्थित है अप्रार्थीगण व उनके कारकुनान प्रार्थीया को उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 108 में आने जाने में रूकावट डालते है तथा दिनांक 01–02–2016 को अप्रार्थीगण के कर्मचारी द्वारा धमकी दी कि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सरकारी जमीन में से तुम्हारी आमद रफ्त बन्द करेगे तथा अतिक्रमण का मुकदमा भी दर्ज करायेगे। जिससे वाद–कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थीया के खेत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। आवेदक द्वारा स्वंय के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 0.57 हैक्टीयर ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 1.21 हैक्टीयर में से रास्ता 250 वर्गगज की आत्यतिक आवश्यकता है। आवेदक की भूमि का मौका निरीक्षण संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक से करवा लिया जावे. आवेदक रास्ते की भूमि का नियमानुसार मुआवजा देने को तैयार है। आवेदक के स्वामित्व की भूमि को संलग्न नक्शे में पीले रंग से एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि को गुलाबी रंग से तथा रास्ते हेतु ली जाने वाली भूमि को नीले रंग से दर्शाया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौकास्थिति की जॉच रिपोर्ट मगवाकर चाहा गया रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसे रास्ता दर्ज किया जायें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही। दिनांक 08.10.2018 को जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये गये एंव पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिंनाक 14.05.2024 को प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दीवानी बाबत् जवाब रिकोर्ड पर लेने का पेश किया गया। दिनांक 23.09.2024 को प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनकर स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इस आशय से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया अपने खेत में जाने हेतु कौन से रास्ते का उपयोग–उपभोग कर रही है, प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र से ज्ञात नही हो रहा है तथा प्रार्थीया के पास आवागमन का रास्ता उपलबध है तो प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता नहीं, प्रार्थीया ने झूठे आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर–108 रकबा 0.57 हैक्टेयर की प्रार्थीया स्वामी है या नहीं प्रार्थीया स्वयं अपने साक्ष्य से प्रमाणित करें तथा प्रार्थीया द्वारा उक्त मद के नोट में जो रास्ता चाहा गया, वह प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रार्थीया द्वारा रास्ते के सम्बन्ध मे जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई सम्पर्क नहीं किया, ना ही आवेदन किया है। अगर प्रार्थीया द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाता तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए सक्षम समिति से उक्त कार्यवाही का अनुमोदन करवाया जाकर नियमानुसार राशि वसूल की जाकर या जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर के कमेटी द्वारा निर्णय किया जाता की जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर–118 में रास्ता उपलब्ध करवाया जाना अथवा नहीं इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण ने आवेदन किये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थीया द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को कोई धमकी दी गई है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण एक राजकीय निकाय है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने या अवैधानिक रूप से उपयोग करने पर नियमानुसार वैधानिक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया जाता है। प्रार्थीया को किसी प्रकार के रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता नही है. प्रार्थीया ने अनावश्यक रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि में भविष्य मे विकसित की जाने वाली स्कीम को खराब करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है, आवेदक प्रार्थीया द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई नक्शा उपलब्ध नही करवाया गया है। ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या में खसरा नम्बर–108 को जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर–118 में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का कोई आवेदन प्रार्थीया द्वारा नही किया, अगर प्रार्थीया को रास्ता चाहिये था तो प्रार्थीया जयपुर विकास प्राधिकरण मे आवेदन करती तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए सक्षम समिति से कार्यवाही का अनुमोदन करवाया, नियमानुसार राशि वसूल की जाती एव जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व के खसरा नम्बर मे से प्रार्थीया को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने का निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर लिया जाता। इस प्रकार प्रार्थीया को रास्ता चाहिये तो जयपुर विकास प्राधिकरण मे आवेदन कर अग्रिम मार्यवाही की जा सकती है, प्रस्तुत प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नही की जा रही है । जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तहत मिन उत्तरदाता के विरूद्ध वाद / प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है । जो प्रार्थीया द्वारा नही दिया गया है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र आवश्यक प्रकृति का भी नही है तथा धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में छूट देने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र विधि के विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया ने अनावश्यक रूप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो कि प्रथमदृष्टया ही खारिज मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना त्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत र निवेदन है कि मौकास्थिति की जाँच रिपोर्ट मंगवाकर चाहा गया रास्ता उपलब्ध करवाया कर राजस्व रिकार्ड में इसे रास्ता दर्ज किया जायें। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन या है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र विधि के विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अनावश्यक रूप से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, कि प्रथमदृष्टया ही खारिज मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जावें।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का आधोपान्त लोकन किया गया। अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि आवेदक द्वारा स्वंय स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 0.57 हैक्टीयर ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या सील सांगानेर जिला जयपुर में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 118 वा 1.21 हैक्टीयर में से रास्ता 250 वर्गगज की आत्यंतिक आवश्यकता है। परन्तु प्रार्थीया द्वारा ते के सम्बन्ध मे जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई सम्पर्क नहीं किया, ना ही आवेदन किया अगर प्रार्थीया द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाता तो जयपुर विकास धिकरण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए सक्षम समिति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

से उक्त कार्यवाही का अनुमोदन करवाया जाकर नियमानुसार राशि वसूल की जाकर या जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर के कमेटी द्वारा निर्णय किया जाता की जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर–118 में रास्ता उपलब्ध करवाया जाना अथवा नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्पति पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने या अवैधानिक रूप से उपयोग करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थीया को रास्ता चाहिये तो जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 के तहत मिन उत्तरदाता के विरूद्ध वाद / प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है । जो प्रार्थीया द्वारा नही दिया गया है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र आवश्यक प्रकृति का भी नही है तथा धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में छूट देने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र विधि के विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृ ष्टया खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बावत् आवागमन का रास्ता दिलाये जाने अन्तर्गत धारा 251–ए की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बावत् आवागमन का रास्ता दिलाये जाने अन्तर्गत धारा 251–ए की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने व विधि के विहित प्रावधानों के विपरीत होने, के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर